

सचिवालयों में प्रवेश-पत्र जारी करने हेतु आवेदन-पत्र

सरकारी पदाधिकारियों एवं वाहय व्यक्तियों के लिए जारी करने हेतु प्रपत्र के साथ पासपोर्ट साइज का दो अभिप्रमाणित फोटो संलग्न करना आवश्यक है

- (1) नाम
- (2) पदनाम/व्यवसाय (यदि गैर-सरकारी है तो उनके व्यवसाय का पूरा पता)
- (3) वर्तमान पदस्थापन
- (4) जिस पदाधिकारी के पास आना-जाना पड़ता है उनका नाम, पदनाम एवं विभाग
- (5) जिस कार्य के लिये आना-जाना पड़ता है उसका उल्लेख किया जाय।
- (6) पुराने प्रवेश-पत्र संख्या एवं अवधि

प्रार्थी का हस्ताक्षर

मैं प्रमाणित करता हूँ कि श्री/श्रीमती को मेरे पास सरकारी कार्य के लिए आना-जाना पड़ता है। अतः मैं अनुशंसा करता हूँ कि इन्हें एक वर्ष की अवधि के लिए नया प्रवेश/नवीकरण स्वीकृत कर दिया जाय।

हस्ताक्षर

पदनाम

मुहर

बिहार सचिवालय के उप-सचिव, संयुक्त सचिव एवं उनसे उच्च स्तर के पदाधिकारी जिनके प्रशासकीय कार्य से वे संबंधित हैं।